

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 166 / 16

संस्थापन दिनांक : 05.04.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-पिल्लू उर्फ अजय पुत्र पप्पूलाल जाटव उम्र 22 वर्ष
निवासी शीतला कॉलोनी माधौनगर नई मस्जिद के
पास मालनपुर जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 24.03.16 को 15:00 बजे मनहर होटल के पास पंचर की दुकान के सामने मालनपुर में फरियादी बीरवल अ0सा01 की इंजन चालू करने वाले हैण्डल से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.16 को समय शाम करीब 3 बजे फरियादी बीरवल अ0सा01 राजू की पंचर की दुकान के सामने खड़ा था तभी आरोपी पिल्लू जाटव आया और उसे अश्लील गालियां देने लगा जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने इंजन चालू करने का हैण्डल मारा जो उसके सिर में दाहिने तरफ लगा जिससे घाव होकर खून निकल आया। तत्पश्चात फरियादी बलवीर अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 48/16 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष

पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 24.03.16 को 15:00 बजे मनहर होटल के पास पंचचर की दुकान के सामने मालनपुर में फरियादी बीरवल अ0सा01 की इंजन चालू करने वाले हैण्डल से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. बीरवलसिंह अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.11.16से 6-7 माह पूर्व उसका आरोपी से मामूली मुंहवाद हो गया था जिसमें झूमाझटकी हुई थी। जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने थाने पर जाकर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ने इंजन चालू करने वाला हैण्डल उसे सिर में मारा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 एवं रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. प्रकरण फरियादी बीरवल अ0सा01 आहत होकर प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण साक्षी है परन्तु उसके द्वारा आरोपी का घटना में किसी भी उपकरण का प्रयोग कर उपहति पहुंचाये जाने से इंकार किया है। अतः स्वयं फरियादी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने बीरवल अ0सा01 को इंजन चालू करने वाले हैण्डल से स्वेच्छया उपहति कारित की।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 324 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में जप्त लोहे का हैण्डल अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0